प्रेस विज्ञप्ति

23.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 11.08.2025 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें 45.92 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा अपने निजी फायदे के लिए कृत्रिम अंग व उपकरणों के वितरण में सरकारी धन के गलत इस्तेमाल से संबंधित धन-शोधन अपराध में शामिल होने के आरोपियों, डॉ ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, सुश्री लुईस खुर्शीद पत्नी सलमान खुर्शीद, व मोहम्मद अतहर को दोषी ठहराने की मांग की गई थी। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, लखनऊ ने 25.11.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा डॉ. ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला व अन्य के खिलाफ दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त पुलिस ने ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव अतहर फारूकी उर्फ मोहम्मद अतहर तथा तत्कालीन परियोजना निदेशक सुश्री लुईस खुर्शीद के खिलाफ सभी 17 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया है।

ईडी की जांच में पता चला कि उक्त ट्रस्ट को प्राप्त 71.50 लाख रुपये की अनुदान राशि का इस्तेमाल केंद्र सरकार से मंज़ूर कैंप लगाने के लिए नहीं किया गया। इसके बजाय, कथित तौर पर प्रत्यूष शुक्ला, मोहम्मद अतहर और सुश्री लुईस खुर्शीद ने ट्रस्ट के हित और अपने निजी फायदे के लिए धन को विपथित किया।

ईडी ने पहले फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में कृषि भूखंड के तौर पर 29.51 लाख रुपये मूल्य की 15 अचल संपत्तियों तथा उक्त ट्रस्ट से जुड़े चार बैंक खातों में शेष 16.41 लाख रुपये की जमाराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।
